मूल वाद में अन्तिम डिक्री

# न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 183/2022 वाद

GCMS No. – 2022/451

1. श्री देवीलाल पिता भँवरलाल गुर्जर निवासी केली तह0निम्बाहेडा
2. श्री श्यामलाल पिता भँवरलाल गुर्जर निवासी केली तह0निम्बाहेडा
3. दौलतराम पिता भँवरलाल गुर्जर निवासी केली तह0निम्बाहेडा

........वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पिता गणपतलाल गुर्जर निवासी देवलखेडी तह0 भदेसर राज0
2. नृसिंह पिता गणपतलाल गुर्जर निवासी देवलखेडी तह0 भदेसर
3. हजारीलाल पिता गणपतलाल गुर्जर निवासी देवलखेडी तह0 भदेसर राज0
4. उदयलाल पिता गणपतलाल गुर्जर निवासी देवलखेडी तह0 भदेसर राज0
5. संतोषबाई पुत्री गणपतलाल गुर्जर निवासी देवलखेडी तह0 भदेसर राज0
6. विष्णुबाई पत्नी गणपतलाल गुर्जर निवासी देवलखेडी तह0 भदेसर राज0

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– शम्भूलाल तेली – अधिवक्ता वादीगण

पत्रावली आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री शम्भूलाल तेली की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम निपटारा हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में कतई डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि ग्राम केली प0ह0 केली में नवीन खाता सं0 390 की आराजी नं0 399 रकबा 0.0300 हेक्टैयर गे.मु. चाह, एवं आ0नं0 404 रकबा 0.0700 हेक्टैयर गे.मु. चाह कुल किता 2 कुल रकबा 0.1000 हेक्टैयर का पुराने खसरे से मिलान कर उक्त आराजियात में मृतक गणपत पिता हीरालाल गुर्जर का 1/4 हिस्सा वादीगण के नाम घोषित किया जाता हैं, इसी प्रकार खाता सं0 765 की आ0नं0 2633/400 रकबा 1.1000 हेक्टैयर का पुराने खसरा से मिलान किया जाकर प्रतिवादीगण के पिता मृतक गणपत पिता हीरालाल गुर्जर के सम्पूर्ण हक हिस्से की आराजियात की खातेदारी घोषणा हकत्याग के आधार पर वादीगण के नाम पर की जाकर खातेदारी में वादीगण का नाम दर्ज किया जावे एवं रेकार्ड से प्रतिवादीगण के पिता मृतक गणपत पिता हीरालाल गुर्जर का नाम विलोपित किया जावे। इसी अनुसार वादीगण का वाद निर्णित किया जाकर तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि मोजा केली पटवार हल्का केली में नवीन खाता सं0 390 की आराजी नं0 399 रकबा 0.0300 हेक्टैयर गे.मु. चाह, एवं आ0नं0 404 रकबा 0.0700 हेक्टैयर गे.मु. चाह कुल किता 2 कुल रकबा 0.1000 हेक्टैयर में

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

मृतक गणपत पिता हीरालाल गुर्जर का 1/4 हिस्सा वादीगण के नाम अमल दरामद करें, इसी प्रकार खाता सं0 765 की आ0नं0 2633/400 रकबा 1.1000 हेक्टैयर लगानी 20.90 रूपये में प्रतिवादीगण के पिता मृतक गणपत पिता हीरालाल गुर्जर के सम्पूर्ण हक हिस्से की आराजियात वादीगण के नाम खातेदारी में अमल दरामद करे एवं रेकार्ड से मृतक गणपतलाल पिता हीरालाल गुर्जर का नाम विलोपित कर पालना पूर्ण करे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। निर्णय अनुसार पृथक से डिक्री मूर्तिब हो और पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner